राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

6

क्रमांक प.18(36)नविवि / एन.ए.एच.पी. / 2014पार्ट

जयपुर, दिनांक :1 1 APR 2018

आदेश

विभाग द्वारा दिनांक 03.04.2017 को जारी अधिसूचना के प्रावधान 3(ए) एवं 3(बी) की तालिका के बिन्दु संख्या 4 को विलोपित करते हुए मूल पॉलिसी के प्रावधान 3(ए) व 3 (बी) को निम्नानुसार रखा जाता हैं:—

Allotment by "Developer to the eligible beneficiaries/ or to other developers to fulfill the requirement as per provision 1 A of the Policy. For allotment of EWS/LIG category by developer, an advertisement for the allotment of EWS/LIG units is to be issued as per income criteria fixed as per Policy. Final list of allotees shall be submitted to concerned authority/ municipality/UIT with relevant documents. Developer would also be responsible to collect cost of unit from the allotees directly."

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

- विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
- 7. / राचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
 - वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु सूचनार्थ।

रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शसिन सचिव-प्रथम